अनुदान संख्या 1 - कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1 – DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	20466,77,00	20466,80,00	17986,46,61	-2480,33,39
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2400,26,52
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		63,45,00	41,91,99	- 21,53,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18,19,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2401”	Major Head “2401”				
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	785056.00	780643.69	773427.14	-7216.55
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-4414.31			
मुख्य शीर्ष “2425”	Major Head “2425”				
सहकारिता	Co-operation				
मू.	O.	9500.00	8050.00	7930.25	-119.75
पु.	R.	-1450.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2435" अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes					
मू.	O.	89648.00		50620.49	50470.86	-149.63
पु.	R.	-39027.51				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	96550.00				
पू.	S.	1.00		..	..	..
पु.	R.	-96551.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	1055098.00		956623.21	956415.47	- 207.74
पु.	R.	-98474.79				

(I) ₹98721.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अठहत्तर शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹97048.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "कृषि इंजीनियरी - किसानों के खेतों में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का प्रशिक्षण और उनका प्रदर्शन करने की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था" - ₹275.00 लाख कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹98721.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilised under seventy eight heads; of these ₹97048.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2401"-

(a) "Agricultural Engineering - Outsourcing of training and demonstration of newly Developed Agricultural Equipments including Horticulture equipments at farmers field"- ₹275.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - ₹400.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - ₹200.00 लाख कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण" -

(i) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹1500.00 लाख;

(ii) "डीओई के केंद्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता" - ₹120.00 लाख;

(iii) "कृषि विस्तार को जनसंचार माध्यम सहायता" - ₹2000.00 लाख;

(iv) "कृषि निदानशालाओं/कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना" - ₹200.00 लाख;

(ख) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी" -

(i) "कृषि जनगणना" - ₹300.00 लाख;

(ii) "कृषि सांख्यिकी का सुधार" - ₹800.00 लाख;

(iii) "कृषि आर्थिक नीति और विकास संबंधी अध्ययन" - ₹700.00 लाख;

(ग) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Strengthening/ Promoting Agricultural Information System"- ₹400.00 lakhs – due to non receipt of proposals.

(c) "Tribal Area Sub Plan - Strengthening/ Promoting Agricultural Information System"- ₹200.00 lakhs - due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Crop Husbandry – Extension and Farmer's Training" -

(i) "Support to State Extension Services" – ₹1500.00 lakhs;

(ii) "Extension Support to Central Institutes of DOE"-₹120.00 lakhs;

(iii) "Mass Media Support to Agricultural Extension" – ₹2000.00 lakhs;

(iv) "Estt. of Agri-Clinics/Agri-business Centres"- ₹200.00 lakhs;

(b) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics"-

(i) "Agricultural Census" – ₹300.00 lakhs;

(ii) "Improvement of Agricultural Statistics"- ₹800.00 lakhs;

(iii) "Studies in Agricultural Economic Policy and Development"- ₹700.00 lakhs;

(c) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities

विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹1500.00 लाख;

(घ) "फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी" -

(i) "किसानों के खेतों में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का प्रशिक्षण और उनका प्रदर्शन करने की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था" - ₹225.00 लाख;

(ii) "ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" - ₹275.00 लाख;

(iii) "फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी" - ₹400.00 लाख;

(ङ) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें"-

(i) "जूट प्रौद्योगिकी मिशन - मिनी मिशन-II"- ₹172.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹5300.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(च) "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें"-

(i) "केंद्रीय बागवानी संस्थान" - ₹530.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹23500.00 लाख;

(iii) "बांस, प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹4300.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(iv) "सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन" – ₹4000.00 लाख।

for production and distribution of seeds" – ₹1500.00 lakhs;

(d) "Crop Husbandry – Agriculture Engineering"-

(i) "Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at Farmer's field" – ₹225.00 lakhs;

(ii) "Tractor Training and Testing Institutes" – ₹275.00 lakhs;

(iii) "Post Harvest Technology" – ₹400.00 lakhs;

(e) "Crop Husbandry - Commercial Crops" –

(i) "Jute Technology Mission - Mini Mission-II" - ₹172.00 lakhs;

(ii) "National Food Security Mission" – ₹5300.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(f) "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "Central Institute of Horticulture" - ₹530.00 lakhs;

(ii) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – ₹23500.00 lakhs;

(iii) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development"– ₹4300.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

(iv) "National Mission on Micro Irrigation" – ₹4000.00 lakhs.

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹400.00 लाख;

(छ) "फसल कृषि कर्म - वनस्पति संरक्षण - भारत में पीड़क जंतु प्रबंधन उपागम का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" - ₹200.00 लाख; और

(ज) "फसल कृषि कर्म - अन्य व्यय"-

(i) "कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन" - ₹300.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधन पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "कृषि का वृहत प्रबंधन" - ₹15500.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना - कृषि" - ₹750.00 लाख;

(झ) "सहकारिता - सहकारी शिक्षा - सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण" - ₹500.00 लाख;

(ञ) "सहकारिता - अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता" - ₹500.00 लाख;

(ट) "अन्य कृषि कार्यक्रम - विपणन सुविधाएं" -

Provisions under the above seventeen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" - ₹400.00 lakhs;

(g) "Crop Husbandry - Plant Protection - Strengthening and Modernization of Pest Management approach in India"-₹200.00 lakhs; and

(h) "Crop Husbandry – Other Expenditure" –

(i) "Strengthening/promoting agricultural information system" - ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Macro Management of Agriculture"- ₹15500.00 lakhs;

(iii) "National E-Governance Plan - Agriculture" – ₹750.00 lakhs;

(i) "Co-operation – Cooperative Education - Cooperative Education and Training"- ₹500.00 lakhs;

(j) "Cooperation – Assistance to other Cooperatives- Assistance to NCDC for development of Cooperatives" - ₹500.00 lakhs;

(k) "Other Agricultural Programmes – Marketing Facilities" –

(i) "ग्रामीण गोदामों का निर्माण" - ₹8000.00 लाख;

(ii) "लघु कृषक कृषि-व्यवसाय सह संघ" - ₹500.00 लाख;

(iii) "बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण" - ₹1500.00 लाख;

(ठ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹800.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹1200.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹4000.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹400.00 लाख;

(v) "पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹9000.00 लाख;

(vi) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹800.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ड) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹1500.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹2500.00 लाख;

(i) "Construction of Rural Godowns" – ₹8000.00 lakhs;

(ii) "Small Farmers Agri-Business Consortium- ₹500.00 lakhs;

(iii) "Development of Market Infrastructure, grading and market standardization" - ₹1500.00 lakhs;

(l) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds" – ₹800.00 lakhs;

(ii) "National Food Security Mission" – ₹1200.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(iii) "Support to State Extension Services" – ₹4000.00 lakhs;

(iv) "Grants-in-aid to National Horticulture Board"- ₹400.00 lakhs;

(v) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – ₹9000.00 lakhs;

(vi) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development"- ₹800.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(m) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Support to State Extension Services" – ₹1500.00 lakhs;

(ii) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – ₹2500.00 lakhs;

(iii) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹500.00 लाख; और

(iv) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹500.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) "बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹1000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹4782.72 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "खाद और उर्वरक"-

(क) "जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹768.11 लाख की बचत (₹1470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹1530.65 लाख की बचत (₹2740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – ₹500.00 lakhs; and

(iv) "National Food Security Mission" - ₹500.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh).

Provisions under the above seventeen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) "Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and distribution of seeds"- ₹1000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2401" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and distribution of Seeds" – saving of ₹4782.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs);

(B) "Manures and Fertilizers" –

(a) "National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of ₹768.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1470.00 lakhs);

(b) "National Project on Management of Soil Health and Fertility" – saving of ₹1530.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2740.00 lakhs);

(गा) "वाणिज्यिक फसलें - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹7829.09 लाख की बचत (₹130700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Commercial Crops – National Food Security Mission" - saving of ₹7829.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130700.00 lakhs);

(घा) "विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹5417.11 लाख की बचत (₹45980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Extension and Farmer's Training – Support to State Extension Services" - saving of ₹5417.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45980.00 lakhs); and

(ङ) "बागवानी और वनस्पति फसलें"-

(E) "Horticulture and Vegetable Crops" -

(क) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" - ₹8013.55 लाख की बचत (₹84000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "National Horticulture Mission" – saving of ₹8013.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84000.00 lakhs); and

(ख) "सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹17657.50 लाख की बचत (₹96000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "National Mission on Micro Irrigation" – saving of ₹17657.50 lakhs (against the sanctioned provisions of ₹96000.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above seven heads were due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(चा) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय" - ₹980.17 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7835.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(F) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage"- saving of ₹980.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7835.20 lakhs including token supplementary of ₹0.20 lakh obtained in March, 2013) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals/non-finalization of proposals.

(छा) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी"-

(G) "Agricultural Economics and Statistics" –

(क) "कृषि लागत और मूल्य आयोग" - ₹155.28 लाख की बचत (₹514.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Commission for Agricultural Costs and Prices"- saving of ₹155.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹514.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals and economy measures.

(ख) "कृषि जनगणना" - ₹111.58 लाख की बचत (₹595.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(b) "Agricultural Census" - saving of ₹111.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹595.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ग) "अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भू-आधारित प्रेक्षण का उपयोग करके कृषि उपज का पूर्वानुमान लगाना" - ₹427.72 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, रिक्त पदों को भरे न जाने और चिकित्सा के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Forecasting Agricultural output Using Space, Agro Metrology and Land Based Observation (FASAL)"- saving of ₹427.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(घ) "कृषि आर्थिक नीति और विकास संबंधी अध्ययन" - ₹1328.08 लाख की बचत (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "Studies in Agricultural Economic Policy and Development" - saving of ₹1328.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(ङ) "कृषकों का स्थिति निर्धारण सर्वेक्षण" - ₹104.04 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना और सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(e) "Situation Assessment Survey of Farmers" - saving of ₹104.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Ministry of Planning and Statistics.

(जा) "कृषि इंजीनियरी - ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" - ₹126.70 लाख की बचत (₹1631.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(H) "Agricultural Engineering – Tractor Training and Testing Institutes" – saving of ₹126.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1631.00 lakhs) was due to economy measures.

(झा) "तिलहनों का विकास - पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहन" - ₹515.00 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) "Development of Oil Seeds -Tree Born Oilseeds"- saving of ₹515.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs); and

(ञ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(J) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹1899.82 लाख की बचत (₹31500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "National Food Security Mission"- saving of ₹1899.82 lakhs (against the sanctioned provisions of ₹31500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(ख) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना - कृषि" - ₹1604.56 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय मूल्यांकन पूरा न होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "National E-Governance Plan - Agriculture" – saving of ₹1604.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/non-finalisation of proposals owing to non completion of financial evaluation.

(ग) "बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹337.34 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Development and Strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of Seeds"- saving of ₹337.34 lakhs (aginst the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(घ) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹2257.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Grants in Aid to National Horticulture Board" – saving of ₹2257.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);

(ङ) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" - ₹12059.04 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(e) "National Horticulture Mission" – saving of ₹12059.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs);

(च) "सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹3174.50 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(f) "National Mission on Micro Irrigation" - saving of ₹3174.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs);

(टा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(K) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान" - ₹377.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) Grants in Aid to National Horticulture Board" – saving of ₹377.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs);

(ख) "सूक्ष्म सिंचाई संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹4841.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "National Mission on Micro Irrigation" – saving of ₹4841.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs); and

(ग) "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" - ₹6000.00 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "National Horticulture Mission" – saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(घ) "बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹331.60 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना - कृषि" - ₹900.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्तीय मूल्यांकन के पूरा न होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ठा) "अन्य व्यय"-

(क) "एमआईएस/पीएसएस के लिए नेफेड को अनुदान" - ₹2000.00 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने और अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन"- ₹110.75 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना - कृषि" - ₹1001.58 लाख की बचत (₹3625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त

Savings under the above seven heads were due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(d) "Development and Strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds" - saving of ₹331.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non receipt of proposals and availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(e) "National E-Governance Plan - Agriculture" – saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-finalisation of proposals owing to non-completion of financial evaluation.

(L) "Other Expenditure"-

(a) "Grant to NAFED for MIS/PSS" – saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims from National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd and availability of unspent balance.

(b) "Strengthening/Promoting Agricultural Information System" – saving of ₹110.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals, receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(c) "National E-Governance Plan – Agriculture" – saving of ₹1001.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3625.00 lakhs) was

होने और वित्तीय मूल्यांकन के पूरा न होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" - ₹8154.22 लाख की बचत (₹9217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2425" - "सहकारी शिक्षा - सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण" के अंतर्गत ₹1569.75 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "विपणन सुविधाएं - ग्रामीण गोदामों का निर्माण" - ₹39114.98 लाख की बचत (₹63600.00 लाख स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "श्रेणीकरण और गुणता सुविधाएं - एग्मार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" - ₹140.65 लाख की बचत (₹1757.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" - ₹73545.78 लाख की बचत (₹912483.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव

due to receipt of less proposals and non-finalization of proposals owing to non-completion of financial evaluation.

(d) "Rashtriya Krishi Vikas Yojana"- saving of ₹8154.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9217.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2425"- "Cooperative Education - Cooperative Education and Training"- saving of ₹1569.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Marketing Facilities – Construction of Rural Godowns" – saving of ₹39114.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63600.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(B) "Grading and Quality Facilities – Strengthening of Agmark Grading Facilities" – saving of ₹140.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1757.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals/receipt of less proposals.

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for State Plan Schemes – Crop Husbandry – Other Grants – Rashtriya Krishi Vikas Yojana" – saving of ₹73545.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹912483.00 lakhs) was due

प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "फसल कृषि कर्म - बीज" - ₹1981.64 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें" - ₹155.77 लाख की बचत (₹232.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ख) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि सांख्यिकी का सुधार" - ₹370.00 लाख की बचत (₹9162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" - ₹3968.37 लाख की बचत (₹11150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालों और मक्का का विकास" - ₹12400.00 लाख की बचत (₹28500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

to non-receipt of proposals from the State Governments.

(B) "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Crop Husbandry – Seeds" – saving of ₹1981.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Commercial Crops" – saving of ₹155.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹232.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(b) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics – Improvement of Agricultural Statistics" – saving of ₹370.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9162.00 lakhs);

(c) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" – saving of ₹3968.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11150.00 lakhs);

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Crop Husbandry – Development of Oilseeds – Integrated Oilseeds, Oil Palm, Pulses and Maize Development"- saving of ₹12400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28500.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें" - ₹144.48 लाख की बचत (₹262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास" - ₹5350.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्ताव प्राप्त न होने और राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(iii) "फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान" - ₹3464.71 लाख की बचत (₹17000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान" - ₹4000.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹272.91 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹54793.53 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "फसल बीमा"-

(i) "Crop Husbandry – Commercial Crops" – saving of ₹144.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹262.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Development of Oilseeds" – saving of ₹5350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of proposals and availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(iii) "Crop Husbandry – Other Grants" – saving of ₹3464.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Crop Husbandry – Other Grants"- saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(VI) Under four heads savings of ₹272.91 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 16 percent to 31 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹54793.53 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under Major Head "2401" – under the following heads:-

(A) "Crop Insurance" –

(क) "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीमों को लागू किया जाना" - ₹23499.30 लाख।

(a) "Implementation of National Agricultural Insurance Schemes"-₹23499.30 lakhs.

(ख) "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" - ₹11421.95 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11418.37 लाख था।

(b) "Modified National Agricultural Insurance Scheme"- ₹11421.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹11418.37 lakhs.

(खा) "बागवानी और वनस्पति फसलें" -

(B) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(क) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹4000.00 लाख।

(a) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – ₹4000.00 lakhs.

(ख) "नारियल बागों के पुनर्रोपण और नवीकरण के लिए अनुदान" - ₹254.90 लाख।

(b) "Grants for replanting and rejuvenation of Coconut Gardens" – ₹254.90 lakhs.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"-

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(क) "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू किया जाना" - ₹5499.90 लाख।

(a) "Implementation of National Agricultural Insurance Scheme" – ₹5499.90 lakhs.

(ख) "नारियल बागों के पुनर्रोपण और नवीकरण के लिए अनुदान" - ₹399.90 लाख।

(b) "Grants for replanting and rejuvenation of Coconut Gardens"- ₹399.90 lakhs.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना"-

(D) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" - ₹4015.00 लाख।

(a) "National Food Security Mission" – ₹4015.00 lakhs.

(ख) "राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता" - ₹3102.98 लाख।

(b) "Support to State Extention Services" – ₹3102.98 lakhs.

(ग) "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम को लागू किया जाना - ₹999.90 लाख।

(c) "Implementation of National Agricultural Insurance Scheme"- ₹999.90 lakhs.

(घ) "बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन" - ₹1199.80 लाख।

(d) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – ₹1199.80 lakhs.

(ङ) "नारियल बागों के पुनर्रोपण और नवीकरण के लिए अनुदान" - ₹399.90 लाख।

(e) "Grants for replanting and rejuvenation of Coconut Gardens"- ₹399.90 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2401” -

(क) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय” - ₹116.58 लाख का अधिक व्यय (₹1416.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते और वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - खाद्य और कृषि संगठन” - ₹247.52 लाख का अधिक व्यय (₹1225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2013 के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क अंशदान की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ग) “विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि विस्तार को जनसंचार माध्यमों की सहायता” - ₹613.28 लाख का अधिक व्यय (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) “बागवानी और वनस्पति फसलें”-

(i) “पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन” - ₹18704.76 लाख का अधिक व्यय (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “केंद्रीय बागवानी संस्थान” - ₹166.96 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ङ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -

(i) “राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता” - ₹141.09 लाख का अधिक व्यय (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2401” –

(a) “Agricultural Economics and Statistics – Directorate of Economics and Statistics” – excess of ₹116.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1416.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance and salary.

(b) “International Co-operation – Food and Agricultural Organization” – excess of ₹247.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1225.00 lakhs) was due to payment of annual membership contribution for the year 2013.

(c) “Extension and Farmers Training - Mass Media Support to Agricultural Extension”- excess of ₹613.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs);

(d) “Horticulture and Vegetable Crops” –

(i) “Horticulture Mission for North East and Himalayan States” - excess of ₹18704.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs);

(ii) “Central Institute of Horticulture” – excess of ₹166.96 lakhs (against nil provision);

(e) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Support to State Extension Services” – excess of ₹141.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs);

(ii) "पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹1521.61 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(च) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - पूर्वोत्तर और हिमालयवर्ती राज्यों के लिए बागवानी मिशन" - ₹9000.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन और गुणता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - लघु कृषक कृषि व्यवसाय सह संघ" - ₹125.00 लाख का अधिक व्यय (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि जनगणना"- ₹272.73 लाख का अधिक व्यय (₹690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - फसल कृषि कर्म - बीज" - ₹560.05 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी" -

(1) "किसानों के खेतों में बागवानी उपस्करों सहित नव विकसित कृषि उपस्करों का बाहरी स्रोतों से प्रशिक्षण और प्रदर्शन" -

(ii) "Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – excess of ₹1521.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);

(f) "Tribal Area Sub Plan –Horticulture Mission for North East and Himalayan States" – excess of ₹9000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

(B) Major Head "2435"- "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities – Small Farmers Agri Business Consortium" – excess of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs);

(C) Major Head "3601"-

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics - Agricultural Census"– excess of ₹272.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹690.00 lakhs); and

(ii) "Tribal Area Sub Plan – Crop Husbandry – Seeds" - excess of ₹560.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs).

Excess under the above nine heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "Crop Husbandry – Agricultural Engineering" –

(1) "Outsourcing of training and demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including

₹608.00 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य के मशीनीकरण स्तर के सुधार के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(2) "फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी" - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और मूल्य वर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास संबंधी प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान" -

(i) "कृषि का वृहत प्रबंधन" - ₹4582.46 लाख का अधिक व्यय (₹48300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना - कृषि" - ₹498.54 लाख का अधिक व्यय (₹25.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

Horticulture Equipment at Farmers Field"- excess of ₹608.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards conducting demonstration and training for improvement of State's mechanization level.

(2) "Post Harvest Technology"- excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards demonstration and training on technology development for value addition.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry - Other Grants"-

(i) "Macro Management of Agriculture" – excess of ₹4582.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National E-Governance Plan - Agriculture" - excess of ₹498.54 lakhs (against the sanctioned provision of

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल में स्थान तैयार करने और अवसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹25.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards site preparation and infrastructure development in Himachal Pradesh, Karnataka and Kerala.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹200.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और दोनों स्वीकृत प्रावधान का 100 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹200.00 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and both constituting 100 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	300.00	210.00	38.47	-171.53
पु.	R.	-90.00			
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	2540.00	1765.80	1653.52	-112.28
पु.	R.	-774.20			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	370.00	..	..	..
पु.	R.	-370.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6425"	Major Head "6425"				
सहकारिता के लिए कर्ज	Loans for Cooperation				
मू.	O.	3000.00	2500.00	2500.00	..
पु.	R.	-500.00			

(I) ₹555.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹370.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹555.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹370.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops – Central Institute of Horticulture" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - कीटनाशी अधिनियम लागू किया जाना" के अंतर्गत ₹261.53 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure - Implementation of Insecticides Act" – saving of ₹261.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for purchase of machinery and equipments.

(III) मुख्य शीर्ष "4401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4401"- savings occurred under the following heads:-

(क) "खाद और उर्वरक" -

(a) "Manures and Fertilizers"-

(i) "जैव खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹207.63 लाख की बचत (₹630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "National Project on Promotion of Organic Farming"- saving of ₹207.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹630.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction works and receipt of less proposals from Central Public Works Department.

(ii) "मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - ₹196.42 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "कृषि इंजीनियरी - फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" - ₹495.07 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोड कार की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "6425" - "सहकारी ऋण समितियों को कर्ज - भूमि विकास बैंक के लिए कर्ज" के अंतर्गत ₹500.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹69.97 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4401" - "बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹143.58 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "National Project on Management of Soil Health and Fertility"- saving of ₹196.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for construction work.

(b) "Agricultural Engineering – Farm Machinery Training and Testing Institute" – saving of ₹495.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals for purchase of load car.

(IV) Under Major Head "6425" –"Loans to Credit Co-operatives- Loans for Land Development Bank" – saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(V) Under one head saving of ₹69.97 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4401" – "Horticulture and Vegetable Crops – Central Institute of Horticulture" – excess of ₹143.58 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.